(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3353-एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.07.2015 पारित द्वारा तहसीलदार तह0 सिहोरा जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 92/अ-12/2014-15

सुरेश कुमार पिता शिवप्रसाद राय
निवासी वार्ड नं. 17 खितौला उमरिया रोड
सिहोरा, तह0 सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. बबीता उर्फ बबलीबाई पति सुदामा काछी
   निवासी वार्ड नं. 17 खितौला उमरिया रोड
   तह0 सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)
2. पटवारी नीरज झारिया प0ह0नं0 73/5
   तह0 सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एस. चौकसे
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय गौतम

आदेश

(आज दिनांक...04/04/2018...को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तह0 सिहोरा जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 92/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम खितौला प0ह0नं0 5/73 में स्थित भूमि खसरा नं. 271/3 रकवा 0.019 हे.

के सीमांकन हेतु आवेदन तहसीलदार तहसील सिहोरा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 03.07.2015 द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक ग्राम खितौला प0ह0नं0 73/5 तह0 सिहोरा जिला जबलपुर का खातेदार है। इसी से लगा प्लाट खसरा नं. 271/3 अनावेदिका बबीताबाई का है। आवेदक की एक परछी मकान से मकान से लगी पश्चिमी दीवाल से 25-26 वर्ष पूर्व की बनी है। प्रकरण के चलते बबीताबाई ने अपनी जमीन का सीमांकन कराया और पटवारी से मिलकर उक्त परछी की जगह अपने प्लॉट में निकलवाई, जबकि पटवारी ने दोनों पक्षों के कोई बयनामे या कागजात नहीं देखे और न स्थल पर कोई परिचिन्हित किया, पटवारी ने नक्शे पर कोई विचार नहीं किया, न कोई कागजातों की जांच की और मनमाने ढंग से नाप कर दी। अत: संपूर्ण सीमांकन प्रक्रिया विधि और तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही विधिवत तरीके से की गई है इस कारण तहसीलदार सिहोरा द्वारा पारित सीमांकन आदेश उचित, न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अत: इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। प्रकरण में जो सीमांकन प्रतिवेदन है उसमें स्पष्ट किया गया है कि सीमांकन टोटल मशीन से किया गया है। सीमांकन चांदा मुनारा न होने के कारण् सड़क रेलवे की सीमा को आधार बनाकर किया गया है। अभिलेख में संलग्न नक्शा एवं फील्ड रिर्पोट में 26 वर्गमीटर में शेड बनाकर बेजा कब्जा किये जाने का उल्लेख है। अत: प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसीलदार ने

सीमांकन प्रतिवेदनकी पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शितं परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर